न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः–   श्री राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :–   282 / 2022

जी.सी.एम.एस. नम्बर :–   2022 / 417

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
लादाराम पुत्र भीपरराम जाति भील निवासी डोलीकलां तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा		1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कल्याणपुर 2.हल्का पटवारी डोली 3.मैनेजर दी बाड़मेर सैण्टल को–ऑपरेटिव बैक लि.शाखा कल्याणपुर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री उम्मेदसिंह चंपावत,अधिवक्ता प्रार्थी

2.विप्रार्थी एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 22.3.2024

1.संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम डोली राजगुरों तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 962 / 621 क्षेत्रफल 1.0926 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। प्रार्थी के पिता का देहान्त होने पर प्रार्थी का वास्तविक नाम लादाराम पुत्र भीपरराम के स्थान धरेलू बोलचाल भाषा में लाधाराम पुत्र जवरिया इन्द्राज कर दिया गया। विवादित भूमि में प्रार्थी का अशुद्व नाम इन्द्राज होने के कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। अतः [illegible] विवादित भूमि में दायर प्रविष्टि लाधाराम पुत्र जवरिया के स्थान पर लादाराम पुत्र भीपरराम [illegible] हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.05.21 19:12:01 IST
Reason: SelfAttested

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस [illegible] तलब किया। विप्रार्थी के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जवाब पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या 02 व 03 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। विप्रार्थी संख्या 01 भी वक्त बहस उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की ग्राम डोली राजगुरों तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 962/621 क्षेत्रफल 1.0926 हैक्टयर खातेदारी भूमि अवस्थित है। प्रार्थी के पिता भीपरराम का देहान्त होने पर प्रार्थी का वास्तविक नाम लादाराम के स्थान घरेलू बोलचाल भाषा में लाधाराम इन्द्राज कर दिया गया,जो एक एरर एपिरेन्ट ऑन द फेस ऑफ रेकर्ड है,जो कि एक लिपिकीय त्रुटिवंश दर्ज हो रखा है। जबकि अन्य सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का वास्तविक लादाराम पुत्र भीपरराम दर्ज है,लेकिन विवादित भूमि में प्रार्थी का अशुद्ध नाम इन्द्राज होने के कारण प्रार्थी को किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं का परिलाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। विवादित भूमि में प्रार्थी का वास्तविक नाम लादाराम के स्थान पर गलत नाम इन्द्राज होने के कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। जबकि विप्रार्थी संख्या 01 ने अपने जवाब में स्वीकार किया है,कि प्रार्थी का विवादित भूमि में अशुद्ध नाम की प्रविष्टि हो रखी है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि में प्रार्थी लाधाराम पुत्र जवरिया के स्थान पर लादाराम पुत्र भीपरराम दुरूस्त किए जाने के आदेश फरमायें जावें।

5.**हमनें** वकील प्रार्थी की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि ग्राम डोली राजगुरों तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 962/621 क्षेत्रफल 1.0926 हैक्टयर भूमि प्रार्थी की आवगी खातेदारी में अवस्थित है। विवादित भूमि में प्रार्थी लाधाराम पुत्र जवरिया के स्थान पर लादाराम पुत्र भीपरराम नाम दुरूस्ती करवाना चाहता है। विप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार कल्याणपुर नें अपने जवाब में स्वीकार किया है कि लादाराम व लाधाराम एक ही व्यक्ति है,इनके पिता का नाम भीपरराम है। इस नाम से पटवार मण्डल डोली में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी व उसके पिता का विवादित भूमि में अशुद्ध नाम की प्रविष्टि हो रखी है,जो प्रार्थी दुरूस्त करवानें का हकदार है। प्रार्थी के अन्य सरकारी दस्तावेजात यथा–आधारकार्ड,जन आधार,पेन कार्ड व बैक पासबुक छायाप्रति में प्रार्थी मय पिता का वास्तविक नाम लादाराम पुत्र भीपरराम अंकन है,इससे प्रमाणित होता है कि प्रार्थी का विवादित भूमि में अशुद्ध नाम इन्द्राज हो रखा है तथा सरपंच ग्राम पंचायत डझेली कल्ला के प्रमाण पत्र क्रमांक 201 दिनांक 23.9.2023 में भी प्रार्थी का सही नाम लादाराम पुत्र भीपरराम होना तस्दीक किया है। इससे भी साबित है कि प्रार्थी का विवादित भूमि में अशुद्ध नाम व वल्दियत की प्रविष्टि हो रखी है। इस प्रकार प्रार्थी अपना आवेदन–पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में बखूबी सफल रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का आवेदन पत्र तहसीलदार कल्याणपुर की रिपोर्ट मय अनुशंषा के आधार पर स्वीकार योग्य है।

07.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थी विवादित भूमि में अपना अशुद्ध नाम मय वल्दियत दुरूस्त करवानें का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kuma
Date: 2024.05.21 19:12:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–डोली राजगुरों तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 962 / 621 क्षेत्रफल 1.0926 हैक्टयर भूमि में लाधाराम पुत्र जवरिया के स्थान पर लादाराम पुत्र जवरिया उर्फ भीपरराम दुरुस्त किए जाने के आदेश दिए जातें है,शेष बदूस्तर रहेंगा। तहसीलदार कल्याणपुर को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 22.3.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.05.21 19:12:01 IST
Reason: SelfAttested